न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–134 / 2020
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम कमलेश सहनी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
24/11/2020 04/12/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–619 / म0नि0को0, दिनांक–16.04.2020 से प्राप्त सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या–38 / 20 दिनांक 12.03.2020 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन **स्कूटी होण्डा** रजि0 सं0– BR07AJ-1958 को राज्यसात् करने हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान देखा गया कि एक व्यक्ति लाल रंग का स्कूटी होण्डा बिना नम्बर का, चलाकर आ रहा था। पुलिस बल के सहयोग से उसे रोका गया। तत्पश्चात् दो गवाहों के समक्ष तलाशी ली गई तो स्कूटी के बीच में एक काला रंग का थैला में एम्पेरियल ब्लू विदेशी शराब 375 एम0एल0 का 21 बोतल कुल 07.875 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ। जिसे विधिवत् पुलिस बल द्वारा उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि सिंहवाड़ा थाना कांड सं0–38 / 2020 में जो शराब बरामदगी की कहानी है वह बेबुनियाद, आधारहीन है विपक्षी को षडयंत्र में फसाया गया है। विपक्षी कभी मादक पदार्थो के कारोबार में सलिप्त नहीं रहे है और न ही रहते है। विपक्षी के विरूद्ध कोई अपराधिक इतिहास नही है। पुलिस द्वारा नाजायज तरीके से विपक्षी के घर के दरवाजे से स्कूटी लेजाकर घटना स्थल से शराब बरामद दिखाई गई है जो तर्कहीन है। ईलाका के साक्षी के बदले स्थानीय थाने के दो सिपाही को बतौर साक्षी बनाया गया है। आवेदक के पास उक्त वाहन का सभी मूल कागजात है। अतः वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्त वाहन स्कूटी रजि0 सं0– BR07AJ-1958 से अवैध विदेशी शराब 375 एम0एल0 का 21 बोतल इम्पेरियल ब्लू कम्पनी का चौर्य व्यापार के नियत से परिवहन कर ले जाया जा रहा था। जिसे पुलिस बल द्वारा चेकिंग के दौरान उक्त स्कूटी के बीच में रखे थैला से बरामद किया गया तथा विधिवत् जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम –2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा के समर्थन में ठोस साक्ष्य दाखिल नही किया गया। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया। जिससे की उनके दावे को बल मिलता है। जबकि वाहन चेकिंग के दौरान उक्त वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है।	

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049 / 2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या–38 / 20 दिनांक 12.03.2020 में उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन **स्कूटी होण्डा** रजि0 सं0– BR07AJ-1958 का बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति उत्पाद अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद कि कार्यवाही समाप्त कि जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा